न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या : 92/2017

GCMS No. : 2017/00182

प्रार्थी :–

1. तहसीलदार, जैतारण
लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. हरीश वर्मा पुत्र हेमराज वर्मा
कौम– सौनी सा0 जैतारण।
2. राकेश कुमार कटारिया पुत्र प्रकाशमल कटारिया
कौम जैन सा0 जैतारण, तहसील–जैतारण, जिला– पाली राज0।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत् बेदखली अन्तर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू – : 02.05.2017

उपस्थितः– 1. तहसीलदार, जैतारण उपस्थित।
2. श्री शिवरतन भण्डारी, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

–:: निर्णय ::– **दिनॉकः– 02/03/2021**

प्रार्थी राज्य सरकार की ओर से तहसीलदार जैतारण लैण्ड होल्डर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि खसरा नंबर 77/8 कुल रकबा 16–62 बीघा मौजा पातुस में स्थित है उक्त आराजी का वादी भूमि लैण्ड होल्डर है। प्रतिवादीगण आराजी जैर बहस के खातेदार काश्तकार है। यह है कि प्रतिवादी नंबर 01 लगायत 02 ने जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को कृषि के रूप में काम में न लेकर उक्त जमीन को बिना विधिक प्रकिया अपनाएं किस्म परिवर्तित कर आवासीय कॉलोनी हेतू प्लॉटिंग जमीन का खुर्द बुर्द कर रहे है जिसका प्रतिवादीगण को हक नहीं है प्रतिवादीगण ने राजस्थान कानून के प्रावधानों व टीनेन्सी की शर्तो को भंग किया एवं बिना संपरिवर्तन आदेश के भूमि की किस्म को परिवर्तन की है, जिससे राजस्थान सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा टीनेन्सी की शर्तो को भंग करने व राजस्थान सरकार के खिलाफ हानिप्रद कार्य करने के कारण अब प्रतिवादीगण को जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाना व स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायोचित हैं दावा हाजा के लिए मुखासमत दिनांक 06.04.2017 को पैदा हुआ जब पटवारी हल्का ने वादी को सूचित किया कि वर्णित पैरा 01 वादपत्र से के अवैध रूप से प्लॉटिंग का कार्य करने के जरिये रिपोर्ट दी। वादपत्र को सुनने का हक अदालत हाज को धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत है। वाद वादी मय शपथ पत्र व डुप्लीकेट प्रति के पेश कर निवेदन है कि वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री फरमाया जाकर वर्णित पैरा 01 वादपत्र से बेदखल किया जाये तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जमीन वर्णित पैरा 01 वादपत्र को खुर्द बुर्द नहीं करे। अन्य रिलिफ जो मुफिद वादी हो एवं 289 आरटी एक्ट के तहत दिलवाई जावे।

इस पर प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या एक की ओर से वकालतनामा पेश हुआ। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो कि सा0मि0 है। अप्रार्थीगण ने जवाब प्रार्थना पत्र में कथन किया है कि अर्जी दावा के फिकरा नम्बर 01 का जवाब है कि खसरा नम्बर 77/8 का रकबा 16-02 बीघा गांव पातुरा की सरहद में है। जिसके अप्रार्थीगण खातेदार काश्तकार है। फिकरा नम्बर 02 में लिखे कथन पूर्णतया झूटे व गलत है। जबकि प्रतिवादीगण द्वारा मुतनाजा जमीन में किसी प्रकार की प्लोटिंग नही की है। वास्तव में मुतनाजा जमीन कृषि भूमि के रूप में काम ली जा रही है। अप्रार्थीगण के द्वारा अपनी जमीन की हिफाजत के लिये अस्थाई पीलर में पट्टियां डालकर खिंचवाई गई है, जिससे आस पास पड़ौस वाले अतिक्रमण नहीं करें कृषि भूमि में अच्छी फसल होवें। इस प्रकार एक एक बीघा के ब्लोक बना दिये गये। फाटके लोहे की लगी है, जिससे आवारा जानवरों द्वारा, सुअरों द्वारा, भेड़ बकरी द्वारा फसलों को नुक्सान नहीं पहुंचे और चारा का भी बिगाड़ न होवें। अतः मुतनाजा जमीन आज दिन कृषि भूमि के रूप मे काम ली जा रही है। प्रतिवादीगण द्वारा भूमि की किस्म मे परिवर्तन नही किया है। इस कारण राजस्थान सरकार को किसी प्रकार का राजस्व नुक्शान होने का प्रश्न नहीं उठता है, पटवारी द्वारा फर्द मौका रिर्पोट तारीख 24.03.2017 की बिल्कुल झूठी व गलत बनाई है, क्योकि मुतनाजा जमीन मे किसी प्रकार की आवासीय प्लोटिंग नही काटे गये है। मौजूदा मुतनाजा जमीन कृषि भूमि के रूप मे काम आ रही है और काम ली जा रही है। कृषि भूमि के लिये ट्यूबवेल भी खुदवा रखे है अतः प्रतिवादीगण द्वारा राजस्थान टिनेन्सी शर्तो को कोई भंग नही किया है महज बदयान्तीपूर्वक पटवारी ने गलत व झूठी मौका फर्स्ट बनाकर परेशान करने के लिये गलत दावा पेश करवाया गया है। अर्जी दावा के फिका नं. 03 का जबाब है कि प्रतिवादीगण ने टिनेन्सी की शर्तो को भंग नही किया है इस कारण राजस्थान सरकार को किसी प्रकार नुक्शान नही हो रहा है। अतः प्रतिवादीगण के खिलाफ बेदखली दावा बिल्कुल झुठा किया है जो दावा खारीज फरमावे। अर्जी दावा के फिका नं. 4 मे लिखे कथन पूर्णतया झुठे व गलत है। जबकि मुतनाजा जमीन मे किसी प्रकार की प्लोटिंग ही नही की गई है। उक्त भूमि कृषि भूमि के रूप मे काम आ रही है। इस कारण प्रतिवादीगण के खिलाफ कोई बिनाय दावा पैदा नही होता है। अर्जी दावा के फिका नं. 5 का जबाब है कि उपर लिखे वर्णित जवाब कारणो से प्रतिवादीगण के खिलाफ धारा 177,92 क राजस्थान टि[illegible]ट के दावा काबिले चलने के नही है। अर्जी दावा के फिका नं. 6 [illegible] और अदालत बाला के है। अर्जी दावा के फिका नं. 7 का जबाब है [illegible]वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ किसी प्रकार की डिग्री प्राप्त करने के अधिकारी [illegible]ी है क्योकि मुतनाजा जमीन मे किसी प्रकार की प्लोटिंग नही की है। जबकि कृषि भूमि के रूप में काम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जा रही है व ली जा रही है। अतः प्रतिवादीगण बेवजह परेशान व तंग हुये है। इसलिय वादी मय खर्चा खारिज फरमावें।

पत्रावली मय दस्तावेजात, जबाब कार्यवाही मय फहरिश्त दस्तावेज का गहनता से अवलोकन किया गया। पत्रावाली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भूमिधारी तहसीलदार जैतारण द्वारा वादग्रस्त आराजी के खातेदारान् के विरुद्ध प्लॉटिंग काटकर बाउंडरी निर्माण को अकृषि कार्य एवं कृषि भूमि के लिये अहितकर कार्य मानते हुये हस्तगत प्रकरण में न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत प्रकरण के साथ प्रस्तुत पटवारी बिरोल के मौका रिपोर्ट दिनांक 24.03.2017 के अनुसार वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 77/8 कुल रकबा 16-02 बीघा किस्म चाही सोयम में आवासीय प्लॉटिंग का अंकन हैं।

खसरा गिरदावरी ग्राम बिरोल खसरा संख्या 77/8 सम्वत् 2074 के अनुसार वादग्रस्त आराजी में मूंग की काश्त का अंकन है। भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण एवं पटवारी बिरोल द्वारा प्रस्तुत नवीनतम मौका फर्द दिनांक 21.01.2021 के अनुसार खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी का वर्तमान में किसी प्रकार का आवासीय उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा खातेदारान् द्वारा अपने खेत के बीच में कच्चा रास्ता बनाकर भूमि का विभाजन किया हुआ है जिसमें 1-1 बीघा 16-16 बिस्वा के छोटे खेत बना रखे हैं। उक्त नवीनतम मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण पटवारी बिरोल तथा खातेदारान् अर्थात् उभयपक्षकारान् की उपस्थिति में तैयार कि गई है।

प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब दावा में भी यह कथन किया है कि उनके द्वारा वादग्रस्त आराजी का उपयोग आवासीय कॉलोनी के रूप में नहीं किया जा रहा है, केवल भूमि की हिफाजत तथा अच्छी फसल के लिये 1-1 बीघा के ब्लॉक बनाये है तथा लौहे की फाट्क लगाई है ताकि आवारा जानवर आदि फसल को नुकसान ना पहुंचाये। प्रतिवादीगण द्वारा इस बाबत् शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है।

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हमारा यह विनम्र अभिमत है कि काश्तकार द्वारा कृषि भूमि को छोटे खेतों में विभाजित करना, चारदीवारी करना तथा फाटक आदि लगाकर कच्चा पक्का पहुंच मार्ग बनाना किसी भी दशा में कृषि भूमि के लिये अहितकर कार्य या अकृषि कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। भूमिधारी द्वारा वादपत्र में यह कथन करना कि खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी का आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है, वहीं पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक जैतारण एवं सम्बन्धित खातेदारान् की उपस्थिति में तैयार एवं प्रेषित मौका रिपोर्ट दिनांक 21.01.2021 में स्पष्ट अंकन है कि खातेदारान् द्वारा मौके पर किसी प्रकार आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग नहीं किया जा रहा है तथा मौके पर छोटे खेत, चारदीवारी, फाटक एवं पहुंच के लिये कच्चा पक्का मार्ग बनाया हुआ जो किसी भी प्रकार से अकृषि कार्य की श्रेणी में नहीं आता है। वादी भूमिधारी तहसीलदार जैतारण यह स्पष्ट करनें में पूर्णतया असफल रहे है कि खातेदारान् द्वारा वादग्रस्त आराजी पर किस प्रकार की संरचनायें एवं सुविधायें आदि विकसित कर आवासीय प्रयोजनार्थ उपयोग उपभोग किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

हो रहा है। अतः हस्तगत वादपत्र साबित नहीं होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाना विधिसंगत एवं उचित होगा।

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वाद वादी अंतर्गत धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बखूबी साबित नहीं होनें एवं सारहीन होनें से अस्वीकार/खारिज किया जाता है। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

निर्णय आज दिनांक 02/03/2021 को सर-ए-इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी जैतारण
(जिला-पाली)

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2022.01.03 11:34:14 IST
Reason: SelfAttested